मैं किसी समुदाय की प्रगति को
महिलाओं द्वारा हासिल की गई प्रगति
के स्तर से मापता हूं।

: डॉ. बाबासाहब आम्बेडकर

वो शक्ति है, सशक्त है
वो भारत की नारी है।
न ज्यादा में, न कम में
वो सब में बराबर की अधिकारी है।

: श्री नरेंद्र मोदी

Supported by : MOIL Limited

महिला सशक्तिकरण का पासपोर्ट

PASSPORT TO WOMEN EMPOWERMENT

राष्ट्रीय महिला आयोग

NATIONAL COMMISSION FOR WOMEN

राष्ट्रीय महिला आयोग NATIONAL COMMISSION FOR WOMEN

NCW1090/181/1098

टाईप / Type **P**

राष्ट्र कोड / Country Code **IND**

उपनाम / Surname **Rahatkar**

दिया गया नाम / Given name(s) **Smt. Vijaya K.**

राष्ट्रीयता / Nationality **Indian**

लिंग / Sex **Female**

जन्म तिथि/ Date of Birth **21 August**

जन्म स्थान/ Place of Birth **Nashik, Maharashtra**

जारी करने का स्थान / Place of Issue **National Commission for Women Plot-21, Jasola Institutional Area, New Delhi - 110025**

जारी करने की तारीख / Date of Issue **22 oct 2024**

समाप्ति की तिथि/ Date of Expiry

Smt. Vijaya Rahatkar, Chairperson

<<<<NATIONAL<<>><<COMMISION<<<<<<<FOR<<<<<<<<<WOMEN<<<<<<<<<

संदेश

कोई भी कानून कितना ही सशक्त क्यों न हो, समाज के लिए कितना ही हितकारी क्यों न हो, मगर वो कानून तभी सकारात्मक बदलाव ला सकता है, जब समाज भी उस बदलाव का पक्षधर हो। पूरे विश्व में महिलाओं को अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए पुरुषों की अपेक्षा अधिक संघर्ष करना पड़ता है। महिलाएं समाज मे अपना उचित स्थान प्राप्त करें, इसके लिए ये बहुत जरूरी है की उन्हें अपने अधिकारों की जानकारी हो तथा कानून की मूलभूत समझ हो।

आज महिलाएं देश को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं, वे वो सभी उत्कृष्ट कार्य कर रहीं हैं, जिसकी हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। देश का सशक्तिकरण महिलाओं की सुरक्षा और उनके सक्षमीकरण पर आधारित है। कानूनों की सही समझ ही महिलाओं के सक्षमीकरण और उनकी सुरक्षा को निर्धारित करेगी।

: श्रीमती विजया रहाटकर

माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग

(यह पासपोर्ट राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा जारी किया गया है, जो महिलाओं को उनके अधिकारों की जानकारी प्रदान करता है।)

राष्ट्रीय महिला आयोग क्या करता है?

राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) की स्थापना महिलाओं को सशक्त बनाने और उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए की गई थी। आयोग अधिनियम, 1990 के तहत दिनांक 31 जनवरी, 1992 को अपनी स्थापना के बाद से लैंगिक न्याय को बढ़ावा देने और महिलाओं की आवाज़ को बुलंद करने में सहायक रहा है।

- **NCW** महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न, हिंसा और भेदभाव की शिकायतों का समाधान करता है।
- **NCW** महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कार्यशालाएँ और कार्यक्रम आयोजित करता **है।**
- **NCW** महिलाओं को कानूनी सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करता है।
- **NCW** महिलाओं के लिए जेल और बंदीगृह सुधारात्मक उपाय
- **24x7 NCW महिला हेल्पलाइन**
- **NCW** महिलाओं के अधिकार और सुरक्षा बढ़ाने के लिए नई योजनाएँ शुरू करता है।
- **NCW** विदेश में भारतीय महिलाओं को कानूनी मदद और समर्थन देता है।
- महिलाओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाता है।
- महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा करना।

राष्ट्रीय महिला आयोग का कार्यक्षेत्र

- उल्लंघनों के मामलों का समाधान।
- महिलाओं के कल्याण और समानता के लिए सरकार को नीतिगत सिफारिशें।
- महिलाओं के साथ भेदभाव को दूर करने और महिलाओं के सशक्तिकरण को जागरूकता एवं समर्थन।
- महिलाओं को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण मामलों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।
- जेलों, मनोरोग/हिरासत गृह सुधार/वन स्टॉप सेंटर का निरीक्षण और निगरानी हिरासत गृहों का निरीक्षण और महिलाओं के मानवीय उपचार और उनका पुनर्वास सुनिश्चित करने के लिए आवास सुविधाओं की सिफारिश करना।
- महिलाओं को प्रभावित करने वाले संवैधानिक प्रावधानों और कानूनों की समीक्षा करना और उनमें संशोधनों की सिफारिश करना।

बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006

बाल विवाह के गंभीर परिणामों को समझते हुए भारतीय सरकार ने बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 को लागू किया।

इस अधिनियम के तहत महिलाओं के अधिकार

• यदि कोई महिला 18 वर्ष से पहले विवाह करती है, तो उसे अपने विवाह को रद्द करने का अधिकार होता है।

• इस कानून के तहत बाल विवाह की शिकार महिलाओं के लिए पुनर्वास केंद्र स्थापित करने का प्रावधान है।

• बाल विवाह से लड़कियों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार छिन जाता है। यह पुनर्वास सेवाओं के माध्यम से शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करता है।

बाल विवाह में शामिल लोगों के लिए सजा

• बाल विवाह में शामिल पुरुषों 2 साल की कठोर सजा
• बाल विवाह को बढ़ावा देने या अनुमति देने 2 साल तक की कठोर सजा और 1 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।
• बाल विवाह की रिपोर्ट बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी से करें।

दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961

दहेज की प्रथा हमारे समाज में बहुत गहराई तक व्याप्त है, और इसे समाप्त करने के लिए दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 को लागू किया गया है।

इस अधिनियम के तहत महिलाओं के अधिकार

• दहेज की मांग पर रोक के तहत कम से कम 5 साल की सजा तथा आर्थिक दंड का भी प्रावधान हैं।

• कोई भी व्यक्ति जो दहेज की मांग के बारे में जानता है वह शिकायत दर्ज करा सकता है।

• एक महिला को दहेज उत्पीड़न के कारण मानसिक या शारीरिक उत्पीड़न से सुरक्षा मिलती है।

• **दहेज मृत्यु से संबन्धित प्रावधानः** यदि किसी महिला की शादी के 7 साल के अंदर दहेज उत्पीड़न के कारण संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो जाती है, तो दोषी को कम से कम 7 साल से लेकर जीवनभर की सजा हो सकती है।

• **स्त्रीधन पर कानूनी सुरक्षाः** महिला को अपने स्त्रीधन (शादी मे मिले उपहार आदि) पर पूर्ण अधिकार होता है और वह इसे प्राप्त कर सकती है।

कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न (रोकथाम, प्रतिषेध और निवारण) अधिनियम, 2013

यह कानून महिलाओं को एक सुरक्षित कार्यस्थल प्रदान करने के लिए बनाया गया है, जहाँ उन्हें उत्पीड़न न झेलना पड़े।

इस अधिनियम के तहत महिलाओं के अधिकार

- सभी महिलाओं को कार्यस्थल पर सुरक्षित वातावरण में काम करने का अधिकार है।

- महिला अपने ऑफिस की आंतरिक समिति से शिकायत कर सकती है।

- जल्द सुनवाई का अधिकार: जांच को 90 दिनों के भीतर पूरा किया जाना चाहिए, और 10 दिनों के अंदर रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए।

- जांच के दौरान महिला अंतरिम राहत की मांग कर सकती है।

- यदि महिला समिति के निर्णय से संतुष्ट नहीं है, तो वह 90 दिनों के भीतर इसकी अपील कर सकती है।

- अपराध सिद्ध हो जाता है तो मुआवजे का अधिकार।

घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005

महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा से सुरक्षा अधिनियम, 2005 केवल एक क़ानूनी प्रावधान नहीं है, बल्कि यह न्याय का वादा है।

इस अधिनियम के तहत महिलाओं के अधिकार

- इस कानून के तहत महिलाओं को शारीरिक, लैंगिक, मानसिक, मौखिक, भावनात्मक, आर्थिक एवं यौन हिंसा से सुरक्षा का अधिकार है।

- इस कानून के तहत महिलाएं अपने साझा घर में रहने का अधिकार रखती हैं एवं आर्थिक राहत का अधिकार है।

- दैनिक जीवन के खर्चों के लिए वित्तीय सहायता, जिसमें बच्चों की कस्टडी व खर्चा प्राप्त करने का अधिकार है।

- हिंसा करने वाले व्यक्ति को संपर्क करने या उत्पीड़न करने से रोकने के लिए कानूनी आदेश प्राप्त करने का अधिकार।

- घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, 2005 के तहत अपराध में एक वर्ष की कारावास दंड होगा |

प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961

इस कानून का उद्देश्य कामकाजी माताओं को सम्मान और गरिमा प्रदान करना है, ताकि वे मातृत्व की अवस्था में स्वास्थ्य और सुरक्षा के साथ काम कर सकें।

इस कानून के तहत महिलाओं के अधिकार

- मातृत्व अवकाश और वेतन सहित अवकाश दिया जाता है।
- दत्तक और सरोगेसी में 12 सप्ताह का वेतन सहित अवकाश।
- महिला को ₹3,500 या उससे अधिक का चिकित्सा बोनस दिया जाता है।
- मातृत्व अवकाश के दौरान महिला को काम से नहीं निकाला जा सकता।
- गर्भवती महिलाओं को खतरनाक काम से रोकथाम।
- बिना वेतन में कटौती के सुरक्षित या कम कठिन काम का अधिकार

समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976

समान वेतन अधिनियम, 1976 भारत में एक ऐतिहासिक कानून है जिसका उद्देश्य सभी कार्यस्थलों पर लिंग समानता लाना है। इस कानून के तहत पुरुषों और महिलाओं को समान काम के लिए समान वेतन प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया गया है।

इस कानून के तहत अधिकार

- समान प्रकार के काम के लिए समान वेतन का अधिकार
- नौकरी भर्ती में भेदभाव के खिलाफ अधिकार
- प्रमोशन और प्रशिक्षण में समान अवसर का अधिकार
- शिकायत और निवारण का अधिकार: यदि कंपनी या संस्था इस कानून का उल्लंघन करती है, तो महिला कर्मचारी उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकती हैं।

अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956

अनैतिक दुर्व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 एक महत्वपूर्ण कानून है जो महिलाओं और बच्चों के शोषण और मानव तस्करी से बचाने के लिए बनाया गया है।

इस कानून के तहत अधिकार

- पुलिस को ऐसे अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का अधिकार है।

- पीड़ितों को मुक्ति और पुनर्वास का अधिकार है।

- जबरन बंदीकरण से सुरक्षा का अधिकार है।

- पीड़ितों को जांच और मुकदमे के दौरान गोपनीयता और सम्मान का अधिकार है।

- अदालतें पीड़ितों को शारीरिक व मानसिक नुकसान के लिए मुआवजा दे सकती हैं।

- वेश्यावृत्ति के किसी महिला का दुरव्यापार करना: 03 से 07 साल की सजा और जुर्माना।

नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023

आज जब महिलाएं सभी क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ रही हैं, समाज का नेतृत्व कर रही हैं, तब यह आवश्यक हो जाता है कि नीति-निर्धारण में भी महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका हो।यह एक ऐतिहासिक कानून है जो महिलाओं के सशक्तिकरण को और बढ़ाएगा और राजनीतिक प्रक्रिया में महिलाओं की अधिक भागीदारी का मार्ग प्रशस्त करेगा। लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलने से न केवल राजनीतिक परिदृश्य बदलेगा, बल्कि आर्थिक गतिविधियों में महिला सहभागिता में भी वृद्धि होगी। इससे सामाजिक, राजनीतिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संदर्भों में भी समाज का उत्थान निश्चित है।

पोक्सो कानून 2012

18 वर्ष से कम उम्र के लड़के या लड़की (बालक) के साथ यौन दुर्व्यवहार करने पर "यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012" (POCSO) के तहत न्यूनतम 3 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास या फांसी की सजा दी जा सकती है। (इस कानून के तहत बच्चे की सहमति या बिना सहमति दोनों ही मामलों में यह कृत्य अपराध माना जाता है।)

भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023

1 जुलाई 2024 से भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) 2023 पूरे देश में प्रभावी हो गए हैं। इन कानूनों में महिलाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण प्रावधान है।

• महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों पर एक नया अध्याय जोड़ा गया है, किसी बच्चे को खरीदना और बेचना जघन्य अपराध बनाया गया है और किसी नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के लिए मृत्युदंड या उम्रकैद का प्रावधान जोड़ा गया है।

• शादी का झूठा वादा करने, नाबालिग से दुष्कर्म, झपटमारी आदि मामले के लिए प्रावधान किये गए हैं।

• दुष्कर्म पीड़िताओं का बयान कोई महिला पुलिस अधिकारी उसके अभिभावक या रिश्तेदार की मौजूदगी में दर्ज करेगी।

• नये कानूनों में महिलाओं व बच्चों के खिलाफ अपराधों की जांच को प्राथमिकता दी गयी है।

• भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 43 (5) के मुताबिक, असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर, किसी भी महिला को सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता।

भारतीय न्याय संहिता 2023 की महत्वपूर्ण धारा

• **धारा 64:** किसी महिला के साथ दुष्कर्म करने पर न्यूनतम 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा दी जा सकती है।

• **धारा 74:** यदि किसी महिला पर उसकी गरिमा भंग करने के इरादे से हमला किया जाए 5 वर्ष तक कारावास या जुर्माने की सजा हो सकती है।

• **धारा 75:** किसी महिला का यौन उत्पीड़न या उस पर अश्लील टिप्पणी करने पर 3 वर्ष तक कारावास या जुर्माना लगाया जा सकता है।

• **धारा 78:** किसी महिला का पीछा करना, उसके साथ संपर्क साधने का प्रयास करना, 5 वर्ष तक कारावास या जुर्माने के तहत दंडनीय है।

• **धारा 79:** किसी महिला की गरिमा भंग करने के उद्देश्य से शब्द, इशारे, या किसी अन्य माध्यम से उसकी निजता में बाधा डालने पर 3 वर्ष तक कारावास या जुर्माना लगाया जा सकता है।

• **धारा 80 (2):**यदि कोई व्यक्ति दहेज हत्या के अपराध का दोषी (Guilty) पाया जाता है तो उसे धारा 80 की उपधारा 2 के तहत दंडित (Punished) किया जाता है।

• **धारा 85:** जो कोई, किसी महिला का पति या पति का नातेदार होते हुए, महिला के प्रति क्रूरता करेगा, तो तीन वर्ष तक कैद हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा।

साइबर अपराध के तरीके

• **डिजिटल अरेस्ट: कानून का डर दिखाते हैं ठग:** स्कैमर पुलिस या कस्टम अधिकारी बनकर फोन करते हैं। वे लोगों को मनी लॉन्ड्रिंग या ड्रग्स कंसाइनमेंट जैसे आरोप में शामिल होने का दावा करते हैं। जिसके बाद लोग डरकर स्कैमर को पैसे भेज देते हैं।

• **फिशिंग स्कैम:** जानी-मानी कंपनियों के नाम पर मेल भेजते हैं।

• **जॉब स्कैम:** फर्जी लिंक्स-मैसेज या ज्वाइनिंग किट के नाम पर पैसे ऐंठ लेते हैं।

• **गलती से पैसे भेजने का स्कैम:** साइबर ठग ऐसे मामलों में लोगों के पास रुपये क्रेडिट होने का फर्जी मैसेज भेजते हैं। इमरजेंसी है, ऐसा कर पैसे लौटाने को कहते हैं।

• **इमोशनल मैनिपुलेशन स्कैम:** ठग मेट्रीमोनियल/डेटिंग एप या सोशल मीडिया पर इमोशनल संबंध बनाने के बाद ठग इमरजेंसी होने की बात करते हैं।

• **लकी ड्रॉ स्कैम:**साइबर ठग इस स्कैम में लॉटरी या लकी ड्रॉ प्राइज विनर का मैसेज भेजते हैं।

• **पार्सल स्कम (ड्रग्स मिलने की करते है बात):** साइबर ठग लोगों को कॉल कर झांसा देते हैं।

• **लोन व कार्ड स्कैम:** ठग वेबसाइट और सोशल मीडिया पर कम दस्तावेजों में पर्सनल लोन व क्रेडिट कार्ड बनाने का दावा करते हैं।

साइबर अपराध से कैसे बचें महिलाएं?

हाल की घटनाओं ने महिलाओं के लिए सोशल साइट्स पर सुरक्षा को लेकर चिंताएँ बढ़ा दी हैं। मगर सोशल मीडिया को लेकर हमे ये मूल जानकारी होनी चाहिए:

क्या करें, क्या न करें

• सोशल मीडिया पर अपनी निजी तस्वीरें डालने से बचें. उनका कोई भी इस्तेमाल कर सकता है।

• अगर आप तस्वीरें डालना चाहते हैं तो अपने फ़ेसबुक अकाउंट पर अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स को पब्लिक न करें।

• अपने नाम के बारे में गूगल पर हमेशा सर्च करते रहें ताकि आपको पता रहे कि आपका नाम कहां पर और किस-किस वेबसाइट पर आ रहा है।

• अगर किसी ग़लत जगह पर या ऐसी जगह पर आपको नाम दिखाई देता है जिसकी अनुमति आपने नहीं दी है, तो उसे तुरंत हटाने के लिए कह सकते हैं।

• अनजान लोगों को फ़ेसबुक पर न जोड़ें।

• ट्विटर पर ऐसी सेटिंग्स की जा सकती हैं कि आपकी

महिलाओं के लिए हेल्पलाइन

राष्ट्रीय महिला आयोग 24x7 हेल्पलाइन
7827170170

पुलिस हेल्पलाइन
112

घरेलू हिंसा, उत्पीड़न और दुर्व्यवहार हेल्पलाइन
1091

महिलाओं के लिए हेल्पलाइन

साइबर हेल्पलाइन
1930

महिला हेल्पलाइन नंबर
181

चाइल्ड हेल्पलाइन
1098

हर लीगल गाईड ऐप

यह ऐप राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) द्वारा महिलाओं को कानूनी जानकारी और संसाधनों तक आसान पहुँच प्रदान करने के लिए शुरू की गई एक पहल है।

शक्ति ऐप

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा NCW के सहयोग से लॉन्च किया गया शक्ति ऐप महिलाओं की सुरक्षा को बढ़ाने के उद्देश्य से बनाया गया है।

वन स्टॉप सेंटर ऐप

यह ऐप वन स्टॉप सेंटर (OSC) योजना के बारे में जानकारी प्रदान करता है, जिसे हिंसा से प्रभावित महिलाओं की सहायता के लिए डिज़ाइन किया गया है।

सुरक्षा, सम्मान, सशक्तिकरण

112 ऐप

यह ऐप उपयोगकर्ताओं को स्थानीय स्वयंसेवकों से सहायता प्राप्त करने में मदद करने के लिए 24 घंटे की आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली प्रदान करता है।

हिम्मत ऐप

अगर कोई यूजर ऐप के ज़रिए एसओएस जारी करता है, तो लोकेशन और ऑडियो-वीडियो दिल्ली पुलिस कंट्रोल रूम को भेजा जाता है और साथ ही दोस्तों या परिवार को भी अलर्ट किया जाता है।

रक्षा ऐप

महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना। बस एक बटन दबाने पर आपके करीबी और प्रियजन आपकी लोकेशन जान सकते हैं।

राष्ट्रीय महिला आयोग के मौजूदा कार्यक्रम

- राष्ट्रीय महिला आयोग आपके द्वार (जनसुनवाई)
- पंचायत से पार्लियामेंट तक
- विधिक जागरुकता अभियान
- अनुसंधान एवं प्रकाशन
- कौशल विकास
- डिजिटल शक्ति
- शी इज़ चेंज मेकर

राष्ट्रीय महिला आयोग

Contact Us

Plot-21, Jasola Institutional Area, New Delhi-110025

संपर्क करें

प्लॉट संख्या 21, जसोला इंस्टिट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली-110025

Phone

+91-11-26942369, +91-11-26944754

Email

ncw@nic.in

Website

ncw.nic.in

Complaints and Inquiry Cell

Phone: +91-11-26944880, +91-11-26944883

Email: complaintcell-ncw@nic.in

Legal Cell

Phone: +91-11-26944877

Email: legal-ncw@nic.in

Anti-Human Trafficking Cell

Email: antitrafficking-ncw@nic.in

NCWIndia NCWIndia NCWIndia NCWIndia